राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12438/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
शिवराम गवाला डेगाना गॉव तहसील डेगाना जंक्शन, नागौर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 22-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री मोहन सिंह रतनू, पुलिस उप अधीक्षक उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 25-4-17 के द्वारा डेगाना ग्रामीणों द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की प्रति एवं राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समयावधि सहित अन्य 14 बिन्दुओं की चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 1, 2, 3, 4, 11 एवं 13 की सूचना आवेदन के अनुरूप विभाग में संधारित नहीं की जाती है अतः सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। बिन्दु संख्या 5 की सूचना शून्य है। बिन्दु संख्या 6 से 10 एव 14 की सूचना विभागीय परिवाद संख्या 280/16 सत्यापनाधीन होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 8(1)(एच) के तहत देय नहीं है। उक्तानुसार जानकारी अपीलार्थी को पत्र दिनांक 29-5-17 द्वारा भिजवा दी गई थी।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 12-12-17 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, से प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये कथनों की पुष्टि होती है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार विनिश्चय/सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त